

अल्पकालीन निविदा

गाँधी मैदान, पटना में बेल्ट्रॉन के द्वारा कुल 32 सी.सी.टी.वी. कैमरे अधिष्ठापित किये गये हैं। संयुक्त जाँच टीम के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में सिर्फ 06 कैमरा चालू अवस्था में है तथा शेष 26 कैमरा कतिपय कारणों से बन्द है। उक्त सभी बन्द पड़े 26 कैमरों को क्रियाशील करने तथा उन्हें क्रियाशील करने के उपरान्त सभी 32 सी.सी.टी.वी. कैमरों के वार्षिक रख-रखाव हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता निविदा डालने के पूर्व गाँधी मैदान, पटना में अधिष्ठापित सी.सी.टी.वी. कैमरा व्यवस्था का निरीक्षण कर सभी आवश्यकताओं के संबंध में आश्वस्त हो लेंगे। इच्छुक निविदादाता अल्पकालीन निविदा दिनांक 02.08.2018 के अपराह्न 01:00 बजे तक जिला नजारत शाखा, पटना समाहरणालय, पटना में प्रस्तुत कर सकते हैं। अल्पकालीन निविदा को जिले के वेबसाईट www.patna.nic.in पर देखा जा सकता है।

I. तकनीकी शर्तें :-

- क) अग्रधन के रूप में 25000.00 रू. का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, पटना के पदनाम से भुगतये होगा।
- ख) GST का निबंधन प्रमाण-पत्र।
- ग) आयकर दाता होने का प्रमाण-पत्र यथा- पैन कार्ड आदि।
- घ) काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ-पत्र।
- ड.) पूर्व में हाल के वर्षों में कम से कम तीन वर्षों का सरकारी कार्यालयों/विभागों में समरूप सी.सी.टी.वी. कार्य से संबंधी अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- च) सभी सी.सी.टी.वी. कार्यरत करने एवं रख-रखाव संबंधी कार्य योजना भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

II. वित्तीय शर्तें :-

- क) सभी सी.सी.टी.वी. कैमरों को क्रियाशील करने तथा उसके वार्षिक रख-रखाव हेतु दर सभी कर सहित उल्लेखित होना चाहिए। स्वीकृत दर से अतिरिक्त किसी प्रकार का दर मान्य नहीं होगा।
- ख) आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगा।

III. अन्य शर्तें :-

- क) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में सीलबंद कर जमा करना होगा। लिफाफे के उपर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
- ख) तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।

समाहरणालय, पटना।
जिला नजारत शाखा

फोन नं. 0612-2219545(का.)
फैक्स नं.-0612-2218900
E-mail-nazaratpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

- ग) निविदा का प्रकाशन जिला के वेबसाईट www.patna.nic.in पर देखा जा सकता है।
- घ) निविदादाता द्वि लिफाफा प्रणाली में दिनांक 02.08.2018 के अपराहन् 01:00 बजे तक जिला नजारत शाखा, पटना समाहरणालय में निविदा जमा कर सकते हैं।
- ङ) निविदा दिनांक 02.08.2018 के अपराहन् 03:00 बजे जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष पटना समाहरणालय सभा कक्ष में खोली जायेगी। निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को क्रय समिति के समक्ष निविदा खोलते समय उपस्थित रहना अनिवार्य है।
- च) सफल निविदादाता को आदेश के चौबीस घण्टे के अन्दर सी.सी.टी.वी. को क्रियाशील करने की कार्रवाई प्रारम्भ करनी होगी तथा एक सप्ताह के भीतर सभी सी.सी.टी.वी. को कार्यरत कर देना होगा। भविष्य में किसी सी.सी.टी.वी. कैमरा के खराब होने पर 24 घण्टे के भीतर मरम्मत कर इसे क्रियाशील कर देना होगा।
- छ) सफल निविदादाता को इस कार्य के लिए एकरारनामा करना होगा।
- ज) निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय अस्वीकृत करने अथवा संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
- झ) वार्षिक रख-रखाव की अवधि एक वर्ष की होगी। यह अवधि सुचारु एवं गुणवत्तापूर्ण रख-रखाव के आधार पर आगे भी विस्तारित की जा सकेगी।

ह.
जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 913 / नजा., पटना, दिनांक 23/7/18

- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना एवं जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को प्रमुख पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, पटना को सूचनार्थ प्रेषित एवं जिला के वेबसाईट पर पत्र को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

21/7/18
जिलाधिकारी,
पटना।